न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा (अपील) नम्बर :— 56/2018 (Rcms no: 2018/00135)

उनवानी प्रकरण :—

1. चम्पो पुत्र चौथी जाति धोवी निवासी ग्राम चन्द्रावली तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर———————————————अपीलान्ट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा जिला धौलपुर—— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.8.2018 तहसीलदार सरमथुरा प्र.सं.013/2018 उनवानी राज0 सरकार बनाम चम्पो अंतर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :—
अपीलान्ट की ओर से :— श्री अशोक दिवाकर अभिभाषक।
रेस्पोडेण्ट की ओर से :— श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

निर्णय दिनांक :—27.11.2018

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार सरमथुरा के निर्णय दिनांक 28.8.2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि आराजी खसरा नम्बर 480 रकवा 0.42 हैक्टयर गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम चन्द्रावली में से 0.04 हैक्टेयर रकवा पर वर्ष 2018 में कोठरी बनाकर अतिक्रमण किया है एवं खसरा नम्बर 480 रकवा 0.42 हैक्टेयर पर वर्ष 2017 में गेहूँ की फसल बोकर अनाधिकृत कब्जा कर लिया था पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया कि अपीलार्थी ने किस स्थान पर कोठरी बनाकर अतिक्रमण किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

को पश्चात्वर्ती अतिकमी मानते हुये तीन माह के सिविल कारावास एवं 16/—रूपये की शास्ति से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि विवादित भूमि सरकारी भूमि है जो कि पशु चरने के काम आती है और अपने निर्णय के दूसरे पैरा में तहसीलदार ने कथन किया है उक्त भूमि गैर मुमकिन नाला है, आपस में विरोधा भाषी है। जबकि सही स्थिति यह कि वर्षा ऋतु में उक्त नाले में सदैव पानी निकलता रहता है, जिसमें कोठरी का निर्माण सम्भव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जांच के मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिकमी मानते हुए आदेश पारित किया है, जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करना स्वीकार किया है, जबकि उक्त दिनांक को अपीलान्ट की उपस्थिति व जबावदेही हेतु नियत थी तो फिर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने व अपनी जबावदेही का सम्यक अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलान्ट के विरूद्ध अतिकमण के बावत कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट एक बुजुर्ग व्यक्ति है, न्यायालय के समक्ष ऐसा शपथ पत्र पेश करने को तैयार है कि वह कभी भी सिवायचक/नाला की भूमि पर अतिक्रमण न तो किया और ना ही भविष्य में करेगा । जानकारी दिनांक से अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.8.2018 निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 28.8.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर अपीलान्ट को पश्चात्वती अतिकमी मानते हुए बिना सुने 16/—

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

जुर्माना व 3 माह का सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है, जो कि गलत है। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाव व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया गया है, ना ही पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया है। अपीलान्ट को जबाव व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलान्ट अपने समर्थन में जबाव साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करता। जैसे ही अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया है एवं भविष्य में कब्जा नहीं करेगें इस बात का शपथ पत्र दे दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.8.2018 निरस्त किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है, जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान तथा पटवारी की दैनिक डायरी से होती है। अपीलान्ट ने वर्ष 2017 में भी अतिकमण किया था, जिसे बेदखल किया गया था। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाव साक्ष्य व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया है तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित कर दिया है। इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु अपीलान्ट ने न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये ना ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किये है। यदि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कब्जा नही था तो उनके द्वारा जुर्माना राशि की अदायगी क्यों की गई तथा कब्जा छोडने सम्बन्धी शपथ पत्र क्यों प्रस्तुत किया । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.8.2018 यथावत रखा जावे ।

अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोडने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने सम्बन्धी शपथ पत्र का सत्यापन तहसीलदार सरमथुरा से कराया गया । तहसीलदार सरमथुरा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.11.2018 के द्वारा अवगत कराया है कि विवादित आराजी से अपीलान्ट द्वारा अतिकमण नहीं हटाया गया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. यह तथ्य सही है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिकमी है। इस तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान तथा पटवारी की दैनिक डायरी से होती है।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

2. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन सिद्ध नहीं होता कि बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। इस बिन्दु के सम्बन्ध हमारा मत है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.8.2018 को उपस्थित हुआ तथा निर्णय दिनांक 28.8.2018 को सुनाया गया उस वक्त भी अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित था । अपीलान्ट को जबावदेही एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 13.8.2018 से 28.8.2018 तक समय मिला, अपीलान्ट चाहता तो उक्त अवधि में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता था। अपीलान्ट को जबाव, साक्ष्य एवं जिरह करने हेतु समय की मांग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलान्ट ने जबाव, साक्ष्य एवं जिरह हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

3. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का सत्यापन तहसीलदार सरमथुरा से कराया गया । तहसीदार सरमथुरा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.11.2018 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी से कब्जा नहीं हटाया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट विवादित आराजी से अतिक्रमण हटाने के पक्ष में नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.8.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एन. एम. पहाड़िया)
जिला कलक्टर, धौलपुर